

एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड के लिए नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड ('कार्ड') के उपयोग से जुड़े सभी लेनदेन पर लागू होती हैं और कार्डधारक और बैंक के बीच पूर्ण अनुबंध बनाती हैं जिसके अधीन कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इन नियमों और शर्तों के संबंध में:

- एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन और मर्दाना लिंग शामिल होंगे जिसमें स्त्री लिंग शामिल होगा
- खंड शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और सापेक्ष खंड के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं
- यदि यहां से कोई भी प्रावधान सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध, शून्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो इस तरह के प्रावधान को यहां से हटा दिया गया माना जाएगा और शेष नियम और शर्तें लागू और प्रभाव में जारी रहेंगी

परिभाषाएं

इस दस्तावेज़ में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

1. 'एटीएम' का अर्थ है एक स्वचालित टेलर मशीन
2. कार्ड के संबंध में 'आवेदक' का अर्थ है वह व्यक्ति जो बैंक से कार्ड के लिए आवेदन करता है और प्राप्त करता है
3. 'उपलब्ध राशि' का अर्थ है कार्ड के संबंध में, कार्ड पर उपयोग के लिए किसी निश्चित समय पर उपलब्ध राशि, कार्ड खाते में जमा की गई राशि की राशि के रूप में कम हो जाती है।
बैंक द्वारा कार्ड खाते में लगाए गए कार्ड पर शुल्क, लागत और व्यय
4. 'बैंक' एक्सिस बैंक लिमिटेड को संदर्भित करता है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामरथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद में 380006 है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं
5. कार्ड के संबंध में 'लाभार्थी' का अर्थ है आवेदक से उपहार के रूप में कार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो आवेदक के दायित्वों को ग्रहण करता है और आवेदक के अनुबंधों से सहमत होता है। हालांकि, बैंक ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा
6. 'कार्ड' का अर्थ है बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किया गया उपहार कार्ड
7. 'कार्डधारक' का अर्थ है, कार्ड के संबंध में आवेदक या कार्ड का लाभार्थी
8. 'कार्ड खाता' का अर्थ है कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा बनाए रखा गया खाता

9. 'ईडीसी' का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य परिधीय और सहायक उपकरण और ऐसे उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर
10. 'व्यापारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान', का अर्थ उन प्रतिष्ठानों से होगा जहां भी स्थित हैं जो कार्ड को स्वीकार करते हैं/सम्मान करते हैं और इसमें अन्य बातों के अलावा शामिल होंगे: बैंक द्वारा विज्ञापित दुकानें, रेस्तरां आदि और/या वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे
11. 'पीओएस' का अर्थ है पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल
12. 'लेनदेन' का अर्थ है बैंक के रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले निर्देश या पूछताछ या संचार, कार्डधारक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को लेनदेन करने के लिए कार्ड का उपयोग करके दिया गया या किया गया है, चाहे वह ईडीसी, पीओएस या बैंक के किसी अन्य उपकरण के माध्यम से या बैंक के साझा नेटवर्क के माध्यम से हो
13. 'वीज़ा' वीज़ा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क को इंगित करता है
14. 'मास्टरकार्ड', का अर्थ है मास्टरकार्ड के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क
15. 'रुपे' का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क

कार्ड की वैधता और उपयोग

1. कार्ड कार्ड बनाने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध है।
2. कार्ड की अधिकतम वैधता दिनांक उदाहरण (जुलाई -25 से जुलाई 28) से शुरू होने वाले तीन वर्ष है। कार्ड महीने के अंतिम दिन तक वैध होगा जो इसकी वैधता अवधि के रूप में इंगित किया गया है। हालांकि, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले कार्ड वैध नहीं रहेगा यदि कार्ड में शेष राशि शून्य तक पहुंच जाती है।
3. कार्ड या लेन-देन के संबंध में बैंक को सभी संचार केवल आवेदक द्वारा किए जाने चाहिए। कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा कोई भी संचार बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा या सीधे आवेदक को सूचित किया जाएगा।
4. कार्ड का उपयोग तत्कालीन उपलब्ध राशि तक के लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
5. कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा किया जाएगा और यह हस्तांतरणीय नहीं है।
6. कार्ड पर किए गए लेन-देन पर, ऐसी राशि को तत्कालीन उपलब्ध राशि से कम कर दिया जाएगा ऐसे लेन-देन के बाद एक नई उपलब्ध राशि प्राप्त करने के लिए राशि। यदि लेन-देन को संसाधित करने के लिए कार्ड में पर्याप्त उपलब्ध राशि मौजूद नहीं है, तो लेनदेन को संसाधित नहीं किया जाएगा।

7. कार्ड के उपयोग को एक्सिस बैंक प्रीपेड कार्ड के नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।
8. गिफ्ट कार्ड पर नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
9. कार्ड पर उपलब्ध/लोड की गई राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. कार्डधारक केवल एक बार कार्ड लोड करने में सक्षम होगा, जो अधिकतम मूल्य 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) या ऐसी अन्य सीमा के अधीन होगा जो बैंक द्वारा आंतरिक और लागू नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके बाद कार्डधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्ड को पुनः लोड नहीं किया जा सकता है।
11. एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड केवल भारत में किसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे सक्षम मर्चेन्ट आउटलेट टर्मिनलों और ऑनलाइन पोर्टलों पर उपयोग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।
12. बैंक केवल शेष राशि की पूछताछ और विवरण प्रश्नों के लिए कार्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग भी प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी फंड ट्रांसफर सुविधाएं अवरुद्ध हैं।
13. प्रीपेड कार्ड में अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त या नहीं निकाली गई शेष राशि डिपॉज़िटर एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कार्ड के लिए आवेदन
14. कार्ड का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को बैंक द्वारा निर्धारित गिफ्ट कार्ड आवेदन सह जमा फॉर्म में बैंक के पास कार्ड खाते में जमा की जाने वाली राशि के साथ आवेदन करना चाहिए।
15. बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन पर विचार न करने का अधिकार होगा।
16. बैंक कार्डधारक द्वारा कार्ड के संबंध में बैंक में जमा की गई राशि को कार्ड से संबंधित कार्ड खाते में जमा करेगा।

कार्ड सुरक्षा

1. कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और कार्ड के सुरक्षित उपयोग की दिशा में सभी कदम सुनिश्चित करेगा।
2. यदि आवेदक कार्ड का उपयोग करता है, तो उसे कार्ड प्राप्त होने पर कार्ड के रिवर्स पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है ताकि इसके अनधिकृत उपयोग से बचा जा सके। यदि आवेदक किसी और को कार्ड उपहार में दे रहा है, तो कार्ड के लाभार्थी को कार्ड प्राप्त होने पर कार्ड के रिवर्स पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है ताकि इसके अनधिकृत उपयोग से बचा जा सके।

व्यापारी स्थान और पॉइंट-ऑफ-सेल उपयोग

1. एटीएम, पॉइंट-ऑफ-सेल या मर्चेन्ट लोकेशन पर नकद निकासी या जमा की अनुमति नहीं है।
2. यह कार्ड भारत में मर्चेन्ट आउटलेट और ऑनलाइन मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों के सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है, जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे लोगो प्रदर्शित करते हैं।
3. किसी भी परिसर में प्रदर्शित वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे प्रतीक के लिए कार्ड प्रचार सामग्री इस बात की गारंटी नहीं है कि उन परिसरों में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं को कार्ड से खरीदा जा सकता है। कार्ड इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल ईडीसी टर्मिनल वाले व्यापारी पर ही स्वीकार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक ऐसे लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ईडीसी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित चार्ज स्लिप/लेनदेन पर्ची पर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का निर्माण किया जाता है।
4. कार्ड को तभी सम्मानित किया जाएगा जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर होंगे।
5. ईडीसी टर्मिनल द्वारा बिक्री पर्ची उत्पन्न करने के बाद लेनदेन को अधिकृत और पूर्ण माना जाता है।
6. कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड का उपयोग व्यापारी स्थान पर केवल एक बार किया जाए। हर बार कार्ड का उपयोग करने पर बिक्री पर्ची मुद्रित की जाएगी और कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद के समय व्यापारी स्थान पर कार्ड का कोई अधिक उपयोग न हो।
7. बैंक कार्डधारक के व्यापारी के साथ किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि कार्डधारक को किसी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित कोई शिकायत है, तो इस मामले को कार्डधारक द्वारा मर्चेन्ट प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता कार्डधारक को बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि, कार्डधारक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
8. बैंक किसी व्यापारी द्वारा लगाए गए किसी भी अधिभार के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और कार्ड खाते में डेबिट किया जाता है।
9. कार्डधारक को किसी व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग करने पर बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करना और उसे अपने पास रखना होगा। अतिरिक्त शुल्क पर बैंक बिक्री पर्ची की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी बिक्री पर्ची कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत होने के रूप में साबित किया जा सकता है, कार्डधारक की देयता होगी।
10. भुगतान के लिए बैंक द्वारा किसी व्यापारी से प्राप्त कोई भी शुल्क या अन्य भुगतान मांग निर्णायक प्रमाण होगी कि इस तरह की मांग पर दर्ज किया गया शुल्क व्यापारी द्वारा राशि में और कार्डधारक द्वारा उस शुल्क या अन्य मांग में निर्दिष्ट किया गया था, जैसा भी मामला हो, कार्ड के उपयोग से, सिवाय इसके कि जहां कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए सबूत की जिम्मेदारी कार्डधारक पर होगी।

11. यदि कोई व्यापारी किसी त्रुटि के कारण या माल वापसी के कारण पूर्ण लेनदेन को रद्द करना चाहता है, तो पहले की बिक्री रसीद को व्यापारी द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए और रद्द की गई रसीद की एक प्रति उसके कब्जे में रखी जानी चाहिए। किसी भी मर्चेट / डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक के कारण सभी रिफंड और समायोजन मैनुअल रूप से संसाधित किए जाने चाहिए और खाते को उचित सत्यापन के बाद और वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपये नियमों और विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि इस समय के दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट को इस धनवापसी पर विचार किए बिना केवल कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। कार्डधारक भुगतान निर्देशों का अनादर करने के ऐसे कृत्यों से बैंक को क्षतिपूर्ति भी करता है।
12. कार्ड का उपयोग चेक-इन के दौरान होटलों में और अन्य स्थानों पर नहीं किया जाना चाहिए जहां खरीद लेनदेन या सेवाओं के पूरा होने से पहले भुगतान की व्यवस्था की जाती है।
13. कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर/फोन ऑर्डर खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कार्ड होना चाहिए विदेशी पत्रिकाओं / पत्रिकाओं की सदस्यता के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
14. किसी भी ईडीसी/पीओएस अन्य उपकरणों पर कार्ड के उपयोग के लिए सेवा शुल्क और/या लेनदेन शुल्क और/या प्रसंस्करण शुल्क और/या कार्ड पर प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जा सकता है।
15. ऐसे सभी शुल्क उपलब्ध राशि से काट लिए जाएंगे, चाहे कार्डधारक को ऐसे शुल्कों की पूर्व सूचना दी जाए या नहीं।
16. कार्डधारक को सलाह दी जाती है कि वह लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखे।

कार्डधारकों के दायित्व और अनुबंध

1. कार्डधारक अपने पते में परिवर्तन के मामले में तुरंत बैंक को सूचित करेगा।
2. कार्डधारक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
3. कार्ड बैंक की संपत्ति है और अनुरोध पर बैंक के अधिकृत व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए। कार्डधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकृत कर्मियों की पहचान स्थापित की गई है।
4. कार्डधारक सभी लेन-देन और संबंधित शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा।
5. कार्डधारक स्वीकार करता है कि उसके अनुरोध और जोखिम पर बैंक उसे कार्ड प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है और उसके कार्ड के उपयोग द्वारा दर्ज किए गए सभी लेनदेन के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

6. कार्ड के माध्यम से दिया गया निर्देश अप्राप्य होगा।
7. कार्डधारक, सभी परिस्थितियों में, कार्ड के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, चाहे वह अपने ज्ञान या अपने अधिकार के साथ संसाधित हो या नहीं, व्यक्त या निहित।
8. कार्डधारक अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को अपने कार्ड खाते में लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।
9. कार्डधारक को बैंक को अच्छे विश्वास में और लेनदेन पर आधारित व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखना चाहिए।
10. बैंक लेन-देन करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, लेकिन किसी भी कारण से कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं उठाएगा, जिसमें लेन-देन या अनुदेश करने में देरी या असमर्थता शामिल है।
11. कार्डधारक ऐसे लेन-देन या प्रविष्टि की तारीख से 7 दिनों के भीतर कार्ड खाते में लेन-देन या प्रविष्टि के बारे में सभी विवादों को बैंक के नोटिस में लाने के लिए सहमत है, जिसके अभाव में सभी लेनदेन और कार्ड खाता प्रविष्टियां सही के रूप में बनाई जाएंगी और कार्डधारक द्वारा स्वीकार की जाएंगी।
12. कार्डधारक कार्ड को बैंक को वापस कर देगा जब आवश्यक नहीं है या समाप्त हो गया है या खो जाने की सूचना के बाद इसकी पुनर्प्राप्ति पर है।
13. कार्डधारक अपने कार्ड का उपयोग उन खुदरा प्रतिष्ठानों में खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए कर सकता है जो कार्ड को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं और एक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल से लैस हैं जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे लेनदेन को संसाधित कर सकते हैं। यदि कार्डधारक किसी और को अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है। हम इसे ऐसे मानेंगे जैसे
14. कार्डधारक ने उस व्यक्ति को अपने कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है और कार्डधारक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कार्ड के साथ शुरू किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा। पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस या अन्य खरीद लेनदेन के माध्यम से किसी भी खरीद पर, कार्ड पर उपलब्ध राशि ऐसी खरीद की राशि से कम हो जाएगी।
15. कार्डधारक बैंक को कार्ड पर खर्च की गई ऐसी सभी राशियों का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, जो कार्ड की खरीद पर क्रेता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से अधिक है जैसे कि रेस्तरां टिप्स और अन्य अधिभार।
16. कार्डधारक को कार्ड में बकाया शेष राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी कारण से योजना को बंद किया जा रहा है या आरबीआई द्वारा इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है।
17. कार्डधारक क्रिप्टो मुद्रा की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेगा

कार्ड खोना

1. यदि कार्ड खो जाता है, तो कार्डधारक को तुरंत बैंक को इस तरह के नुकसान की सूचना टेलीफोन (फोन बैंकिंग) या बैंक को लिखित संचार के माध्यम से देनी चाहिए।
2. कार्डधारक को पुलिस के पास कार्ड के खोने की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और उसकी एक प्रति बैंक को भेजनी होगी।
3. खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट के सत्यापन पर बैंक इस तरह के खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के दिन के बाद कार्य दिवस पर कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित (हॉट लिस्ट) कर देगा।
4. कार्डधारक अपने कार्ड पर किए गए सभी लेन-देन के लिए तब तक उत्तरदायी रहेगा जब तक कि वह बैंक को अपने कार्ड के खोने की सूचना नहीं देता।
5. कार्ड के खो जाने की स्थिति में, कार्डधारक को एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जाएगा और कार्ड जारी करने के शुल्क की कटौती के बाद अप्रयुक्त शेष राशि को प्रतिस्थापन कार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अप्रयुक्त कार्ड राशि

1. ग्राहकों को पीपीआई की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले 45 दिनों की अवधि से पहले एसएमएस/ईमेल जैसे किसी भी उपलब्ध चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
2. कार्ड की समाप्ति की तारीख को या उसके बाद किसी भी बकाया राशि को धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के एक नए समान भुगतान साधन में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है।

कार्ड निष्क्रियता

1. यदि एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होता है तो कार्ड धारक को सूचित करने के साथ बैंक द्वारा कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. बैंक की शाखाओं और/या नामित व्यवसाय प्रतिनिधियों में बैंक द्वारा ग्राहक सत्यापन के बाद ही कार्ड को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
3. ऐसे कार्डों की सूचना उनके निर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी

शुल्क एवं शुल्क

1. प्रारंभिक कार्ड शुल्क बैंक को अग्रिम रूप से देय होगा।
2. बैंक किसी भी समय कार्ड पर किए गए लेनदेन के लिए कार्डधारक से कोई भी शुल्क/शुल्क लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लागू शुल्क और शुल्क का विवरण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।
3. कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप देय कोई भी सरकारी शुल्क, या विवरण, या कर कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी।
4. कार्डधारक बैंक को अपने कार्ड में शेष राशि से कटौती करने के लिए अधिकृत करता है, और बैंक को किसी भी खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करता है, जो बैंक अपने कार्ड के संबंध में बैंक को देय धन एकत्र करने में कर सकता है (जिसमें बिना किसी सीमा के उचित वकील की फीस शामिल है)।
5. कार्डधारक द्वारा देय और देय राशि, यदि अलग से भुगतान नहीं की जाती है, तो बैंक द्वारा उपलब्ध राशि से या कार्डधारक के बैंक के साथ किसी अन्य खाते के डेबिट से वसूल की जा सकती है।

शुल्क विवरण	उपहार कार्ड
वैधता	3 साल
नकद निकासी	नहीं
जारी करने की फीस	100 रुपये
वार्षिक शुल्क	शून्य
लोड हो रहा है शुल्क	शून्य
कार्ड बदलना	100 रुपये
मोचन शुल्क	100 रुपये
एटीएम नकद निकासी शुल्क- जिम्मेदारी	एनए
एटीएम नकद निकासी शुल्क- ऑफस- प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	एनए
गैर-वित्तीय लेनदेन - जिम्मेदारी - शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट	शून्य
गैर-वित्तीय लेनदेन - ऑफस - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट - प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	10 रुपये

- जीएसटी को छोड़कर उल्लिखित सभी राशियां

सुविधाओं में परिवर्तन

1. बैंक, अपने विवेक से, कार्ड के उपयोग के लिए अधिक ईडीसी, पीओएस, साझा नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन और/या अन्य सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध करा सकता है। कार्डधारक समझता है और सहमत है कि ऐसे नेटवर्क विभिन्न सेवाओं और/या स्थानों के लिए अलग-अलग कार्यक्षमता, सेवा पेशकश और अलग-अलग शुल्क प्रदान कर सकते हैं।
2. बैंक, अपने विवेकाधिकार से, किसी भी समय, कार्डधारक को नोटिस दिए बिना, कार्ड और/या इससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित करने/या समाप्त करने का हकदार होगा, ईडीसी, पीओएस पर, ऑनलाइन और अन्य सेवाओं तक पहुंच और इस तरह के निलंबन या समाप्ति के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. रखरखाव: जबकि सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले रखरखाव कार्य की अग्रिम सूचना दी जाएगी, बैंक किसी भी समय ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन / अन्य समान उपकरण या सभी या किसी भी सेवाओं के प्रावधान तक पहुंच को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है, चाहे नियमित रखरखाव के लिए हो या किसी अन्य कारण से। मुद्रित लेन-देन रिकॉर्ड, शेष जानकारी विवरण, त्रुटियां,

शिकायतें: अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

1. किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए बैंक या ग्राहक की देयता इस प्रकार होगी:
2. एक ग्राहक की शून्य देयता- शून्य देयता के लिए एक ग्राहक की पात्रता उत्पन्न होगी जहां अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखित तरीके से होता है:
 - बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेन-देन की सूचना दी गई हो या नहीं)
 - थर्ड पार्टी ब्रीच जहां कमी न तो बैंक के पास है और न ही ग्राहक के पास है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है, और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक से संचार प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है।
3. एक ग्राहक की सीमित देयता- एक ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा:
 - ऐसे मामलों में जहां नुकसान किसी ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां उसने भुगतान क्रेडेंशियल्स साझा किए हैं, ग्राहक पूरे नुकसान को तब तक वहन करेगा जब तक कि वह बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता। अनधिकृत लेन-देन की सूचना देने के बाद होने वाली किसी भी हानि को बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

- ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक के पास है और न ही ग्राहक के पास है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब इस तरह के लेनदेन के बैंक को सूचित करने में ग्राहक की ओर से (बैंक से संचार प्राप्त होने के बाद चार से सात कार्य दिवसों का) देरी होती है, ग्राहक की प्रति लेनदेन देयता लेनदेन मूल्य या 10,000 रुपये जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- 4. यदि ग्राहक अनधिकृत लेन-देन के संबंध में बैंक से संचार प्राप्त करने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक दायित्व का निर्धारण बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा। बैंक बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इसका मूल्यांकन और निर्धारण करेगा। वृद्धि विवरण के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axis.bank.in) पर जाएं और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें। आप हमारे कस्टमर केयर सर्विस नंबर 022-67987700 से भी संपर्क कर सकते हैं।
- 5. आपके निर्देशों के सभी रिकॉर्ड और बैंक द्वारा बनाए गए अन्य विवरण (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में, आपके विपरीत, ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- 6. उक्त खाते के संबंध में रिपोर्टिंग और/या खाते पर किए गए लेन-देन या किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपकी देयता होगी "ग्राहक संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता" पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में कोई भी परिवर्तन उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।
- 7. अधिक सहायता के लिए वेबसाइट www.axis.bank.in/suppo आरटी देखें

सूचना का प्रकटीकरण

1. बैंक अन्य संस्थानों को कार्ड या कार्डधारक से संबंधित ऐसी जानकारी का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में उसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त हो सकती है।
2. ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य उपकरणों पर कार्ड का उपयोग कार्डधारक की स्पष्ट सहमति का गठन करेगा
 - बैंक के लिए उचित लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम से पहचान और कार्ड शेष जानकारी के संग्रह, भंडारण, संचार और प्रसंस्करण के लिए
 - कार्डधारक के खाते के विवरण और लेन-देन की जानकारी और कार्ड को ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य डिवाइस पर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य डेटा के प्रतिभागियों और प्रोसेसर नेटवर्क/अन्य नेटवर्क को जारी करने और प्रसारित करने के लिए
 - बैंक/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा को बनाए रखने के लिए
 - बैंक के नेटवर्क/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए जिसके अधीन ऐसे प्रतिभागी और प्रोसेसर हैं

- लेन-देन के बारे में तीसरे पक्ष को जानकारी का प्रकटीकरण करने के लिए जहां लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, या जब आवश्यक हो तो कानून या सरकारी एजेंसी या अदालत के आदेशों या कानूनी कार्यवाही का पालन करने के लिए या जब आवश्यक हो तो कार्डधारक द्वारा उठाए गए त्रुटियों या प्रश्न को हल करने के लिए या बैंक की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- 3. कार्डधारक एतद्वारा स्पष्ट रूप से बैंक को किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत विवरण, कार्ड लेनदेन, या बैंक के साथ लेन-देन से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता है, प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखाओं, सहायक कंपनियों, या बैंक के संबद्ध या संबद्ध निगमों, जहां भी स्थित हो, भारत में किसी भी सरकार या नियामक एजेंसियों या प्राधिकरणों या कहीं और किसी भी एजेंट या ठेकेदार को जो किसी भी सेवा (सेवाओं) को करने के लिए एक समझौता किया है। बैंक के लाभ के लिए और किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए, जहां प्रकटीकरण कानून द्वारा आवश्यक है या अन्यथा जिसे बैंक इस तरह का प्रकटीकरण करने के लिए उपयुक्त समझता है।
- 4. इसके तहत खातों के संबंध में दायित्व पूरी तरह से उस बैंक शाखा में देय हैं जिस पर कार्ड जारी किया गया था और स्थानीय कानूनों के अधीन हैं (जिसमें बिना किसी सीमा के, राजकोषीय और विनियम नियंत्रण विनियमन सहित कोई भी सरकारी कार्य, आदेश, डिक्री और विनियम शामिल हैं)।

बैंक का अधिकार'

1. बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्डधारकों को सूचना दिए बिना कार्ड को वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है या इसकी किसी भी विशेषता में संशोधन कर सकता है।
2. बैंक के पास ऐसा लेन-देन नहीं करने का विवेक होगा जहां उसके पास यह मानने का कारण है कि कार्ड का उपयोग अधिकृत नहीं है या लेन-देन वास्तविक या अस्पष्ट नहीं प्रतीत होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि संदेह पैदा होता है या इसे किसी भी कारण से लागू नहीं किया जा सकता है।
3. यदि कार्डधारक द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित करने में सक्षम है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर उक्त अनुदेशों में से किसी एक में उक्त निर्देश को निष्पादित कर सकता है।

व्यापारियों के साथ कार्डधारक का विवाद

1. कार्डधारक के हस्ताक्षर के साथ एक बिक्री पर्ची/इलेक्ट्रॉनिक पर्ची और उस पर नोट किए गए कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक द्वारा किए गए दायित्व की सीमा के रूप में बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक साक्ष्य होगा।
2. कार्डधारक द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य वारंटी, वितरण में देरी, गैर-वितरण गैर-वितरण के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड सुविधा विशुद्ध रूप से कार्डधारक को सामान खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है और बैंक कोई वारंटी नहीं देता है या गुणवत्ता, मूल्य, वितरण या अन्यथा

के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, चाहे वह वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में हो, और विवाद को सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए। हालांकि, कार्डधारक व्यापारी के साथ विवाद के बारे में बैंक को रिपोर्ट करेगा, जिसमें स्थानों के नाम, लेनदेन की तारीख और समय और अन्य विवरण होंगे जो बैंक को इसकी जांच में सहायता करेंगे।

4. बैंक असहमति की सूचना प्राप्त होने के दो महीने के भीतर बयान में दर्शाए गए लागू प्रभार के साथ पीड़ित कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए वास्तविक और उचित प्रयास करेगा। यदि इस तरह के प्रयास के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि संकेतित शुल्क सही है तो वह बिक्री पर्ची या भुगतान मांग की एक प्रति सहित विवरण के साथ कार्डधारक को सूचित करेगा।
5. बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान करने से इनकार करने की कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।
6. बैंक ने कुछ व्यापारियों के साथ एक समझौता किया है, ताकि कार्डधारक को खरीदी गई वस्तुओं/प्राप्त सेवाओं के संबंध में छूट प्रदान की जा सके। हालांकि, बैंक ऐसे व्यापारियों के साथ कार्डधारक के किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं होगा।

दायित्व से बहिष्करण

1. पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में कार्डधारक के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा:
 - आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में कोई दोष
 - किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करना
 - किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या ऑनलाइन व्यापारी की खराबी
 - कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयोजन में किया गया कोई भी कार्य
 - बैंक द्वारा अपने चेहरे पर उजागर होने वाली समाप्ति तिथि से पहले कार्ड के सरेंडर की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और सरेंडर बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई और/या खरीदी गई हो
 - बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग
 - आवेदक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट कथित तौर पर कार्ड के कब्जे और/या, इसकी वापसी के लिए किसी भी अनुरोध या कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान से इनकार करने के कारण हुई है।
 - बैंक को बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयान, गलत बयान, त्रुटि या चूक • किसी व्यापारी स्थान पर किसी भी कारण से लेनदेन में गिरावट
2. बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और किसी भी सेवा विफलताओं या व्यवधानों के लिए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (जिसमें डेटा की हानि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) सिस्टम या उपकरण की विफलता के कारण या तीसरे पक्ष के उत्पादों या अन्योन्याश्रितताओं पर बैंक द्वारा निर्भरता के कारण, जिसमें बिजली या दूरसंचार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

3. बैंक ईश्वर के अधिनियमों, दंगों, नागरिक हंगामों, विद्रोहों, युद्धों, या इसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारणों, या इसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण, या किसी भी हड़ताल या तालाबंदी से अपने व्यवसाय में रुकावट से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।
4. यदि कोई ईडीसी, पीओएस या इसी तरह का उपकरण या ऑनलाइन पोर्टल खराब हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लेन-देन की कुछ या पूरी राशि के कार्डधारक को नुकसान होता है, और बैंक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से इस तरह के नुकसान की पुष्टि की जाती है, तो बैंक सेवा शुल्क के लिए किसी भी समायोजन सहित आपके कार्ड में कोई समायोजन करके उस नुकसान को ठीक करेगा, यदि कोई हो।
5. कार्डधारक के निर्देशों का पालन करने में किसी भी विफलता के कारण कार्डधारक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, जब ऐसी विफलता बैंक के नियंत्रण से परे कारण के कारण होती है, तो इस संबंध में बैंक की राय अंतिम होती है।
6. कार्ड सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए लेन-देन को पूरा करने के लिए बैंक को स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है। बैंक के पास पिन के माध्यम से किए गए लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।
7. बैंक किसी भी परिस्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी और चाहे कोई भी दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, रुकावट, व्यवसाय के नुकसान या किसी भी चरित्र या प्रकृति के किसी भी अन्य नुकसान पर आधारित हो और चाहे कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता, मांगों, अनैच्छिक हस्तांतरण, युद्ध के कृत्यों या नागरिक संघर्ष या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य समान कारणों पर प्रतिबंधों के कारण कार्ड में जमा की गई निधियों की अनुपलब्धता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, जिस परिस्थिति में बैंक की कोई अन्य शाखा, सहायक या संबद्ध इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

भुगतान से इनकार करने की क्षमता

1. कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, यदि बैंक को कोई प्रक्रिया, सम्मन, आदेश, निषेधाज्ञा, निष्पादन, विचलन, लेवी, ग्रहणाधिकार, सूचना या नोटिस प्राप्त होता है, जो बैंक का मानना है कि कार्डधारक की क्षमता पर सवाल उठाता है, अपने विवेक पर और कार्डधारक को अपने धन के किसी भी हिस्से को प्राप्त करने के लिए दायित्व के बिना, या बैंक, एक उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसी निधियों का भुगतान कर सकता है और लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई अन्य कदम उठा सकता है।
2. बैंक कार्ड से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के कारण कार्ड पर उपलब्ध राशि से एक उचित सेवा शुल्क और बैंक द्वारा किए जाने वाले किसी भी खर्च को काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क शामिल है।

कार्ड की समाप्ति

1. यदि कार्डधारक कार्ड के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक बैंक को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देगा और बैंक को उपहार कार्ड वापस करने के साथ आगे और उसकी वैध रसीद प्राप्त करेगा। इस तरह की समाप्ति को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की समाप्ति भी माना जाएगा।
2. यदि कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद कार्ड पर शुल्क लगाया जाता है, तो कार्डधारक कार्ड पर लगाए गए शुल्कों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, चाहे वह दुरुपयोग का परिणाम हो या नहीं और बैंक को कार्ड के नष्ट होने के बारे में सूचित किया गया है या नहीं।
3. बैंक किसी भी कारण के साथ या बिना किसी कारण के कार्ड को रद्द करके और 7 दिनों का नोटिस देकर इस सुविधा को समय पर बंद करने का हकदार होगा और कार्डधारक द्वारा भारत में कार्डधारक के पते पर पोस्टिंग के 7 दिनों के साथ प्राप्त किया गया माना जाएगा, जिसे बैंक को लिखित रूप में अंतिम बार अधिसूचित किया गया था।

क्षतिपूर्ति

1. कार्डधारक बैंक, उसके ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष को हुए किसी भी नुकसान या कार्डधारक द्वारा कार्ड सुविधा के उपयोग के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा लाए गए किसी भी दावे या कार्रवाई के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा। कार्डधारक सभी देनदारियों, हानि, क्षति और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे बनाए रख सकता है या वहन कर सकता है:
 - कार्डधारक की लापरवाही/गलती या कदाचार
 - कार्ड से संबंधित नियमों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन
 - कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी
 - ऑनलाइन मर्चेन्ट, ईडीसी और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीनें हैं और ऑपरेशन के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं
2. कार्डधारक ऐसी किसी भी मशीन/यांत्रिक त्रुटियों/विफलताओं के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। बैंक सुविधा प्रदान करने में किसी भी विफलता के लिए या किसी भी कारण के लिए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक के नियंत्रण से बाहर है। कार्डधारक को कार्ड की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के विचार में, कार्डधारक क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है और इसके द्वारा बैंक को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाही, हानि, क्षति, व्यक्तिगत चोट, लागत, शुल्क और खर्चों से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, जो भी बैंक किसी भी समय कार्डधारक को कार्ड की उक्त सुविधा प्रदान करने या उसके परिणामस्वरूप या उसके परिणामस्वरूप हो सकता है, बनाए रख सकता है, पीड़ित हो सकता है या इसके परिणामस्वरूप हो सकता है या इसके द्वारा बैंक द्वारा कार्डधारक के निर्देश पर कार्रवाई करने या लेने से इनकार करने या छोड़ने का कारण। कार्डधारक एतद्वारा बैंक को किसी भी दायित्व (सिविल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता है जो

कार्ड के नुकसान या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकता है, यदि यह खो जाता है और बैंक को सूचित नहीं किया जाता है या बैंक को सूचित करने से पहले खो जाता है और दुरुपयोग किया जाता है।

फुटकर

1. कार्डधारक को कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके और लिखित रूप में कार्ड की प्राप्ति को स्वीकार करके इन नियमों और शर्तों से बिना शर्त सहमत और स्वीकार किया गया माना जाएगा।
2. बैंक कार्ड पर दी जाने वाली नीतियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित करने और समय-समय पर इन नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उन पर अद्यतन नियम और शर्तें एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी www.axisbank.com। कार्डधारक इस तरह के परिवर्तनों से बाध्य होगा जब तक कि कार्ड उस तारीख से पहले रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं कर दिया जाता है, जिस पर कोई परिवर्तन प्रभावी होना है।
3. ये शर्तें कार्डधारक और बैंक के बीच एक अनुबंध बनाती हैं। सेवा स्वीकार करके, कार्डधारक इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।
4. बैंक नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों/कारणों सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) परिवर्तन कर सकता है:
 - केवल उपहार कार्ड के उपयोग से संबंधित शुल्क लगाना या बढ़ाना
 - अपने कार्ड के साथ लेनदेन से संबंधित नुकसान के लिए कार्डधारक की देयता बढ़ाएं
5. बैंक बिना किसी सूचना के परिवर्तन भी कर सकता है यदि कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। कार्डधारक को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है, जब तक कि प्रकटीकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरण की सुरक्षा को खतरे में न डाले।
6. इन और किसी भी अन्य परिवर्तन की अधिसूचना बैंक द्वारा एक्सिस बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कार्डधारक को वितरित करने के लिए दी जा सकती है www.axis.bank.in
7. बैंक कार्डधारक को इन नियमों और शर्तों में बदलाव की सूचना एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट करके भी दे सकता है।
8. ये नियम और शर्तें; क) पहले से किए गए किसी भी प्रस्ताव, अभ्यावेदन, समझ और समझौते, व्यक्ति या निहित, मौखिक या लिखित रूप में प्रबल होना और, ख) जमा खाते के लिए बैंक के सामान्य नियमों और शर्तों और बैंक के किसी अन्य नियम और शर्तों के अलावा लागू करना अन्यथा लागू होना। हालांकि, विवाद के मामले में, गिफ्ट कार्ड सुविधा के लिए ये नियम और शर्तें गिफ्ट कार्ड सुविधा के तहत लेनदेन के संबंध में लागू होंगी।

कानून का अनुपालन

एक्सिस बैंक द्वारा पेश किया गया गिफ्ट कार्ड उत्पाद ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक सहित नियामक और/या वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और गिफ्ट कार्ड से संबंधित प्रावधान नियामक आवश्यकता और/या एक्सिस बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यहां प्रदान की गई गिफ्ट कार्ड सुविधा और ये नियम और शर्तें लागू कानून और विनियमों के अधीन हैं और किसी भी समय प्रचलित कानून या विनियम के आधार पर संशोधित या बंद कर दी जाएंगी और बैंक किसी भी दायित्व या दायित्व के अधीन नहीं होगा या उक्त कार्ड सुविधा का कार्यान्वयन तब तक जारी नहीं रखेगा जब तक कि उस समय प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार शर्तों को संशोधित नहीं किया जाता है। इस घटना में, कि किसी भी समय प्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन के बिना कार्ड सुविधा को जारी नहीं रखा जा सकता है, इस समझौते / नियम और शर्तों को उस तारीख से तुरंत समाप्त माना जाएगा जब व्यवस्था को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने वाला संशोधित कानून लागू हो जाएगा।

शासी कानून और क्षेत्राधिकार

ये नियम और शर्तें और/या लेन-देन भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और मुंबई की सभी अदालतों के पास कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामलों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।